न्यायालय जिला कलेक्टर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 118 / 2025	2025 / 327	17.07.2025	29.4.2026

नन्दलाल पुत्र भूरिया, जाति जाट, निवासी ग्राम बघाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1

बनाम

1. सतवीर पुत्र दोलतराम, जाति जाट, निवासी बघाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2. उपखण्ड अधिकारी महोदय, कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा
3. श्रीचन्द पुत्र भूरिया, जाति जाट, निवासी ग्राम बघाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा कोटकासिम, जरिये शाखा प्रबन्धक
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कोटकासिम, जरिये शाखा प्रबन्धक
6. उप पंजीयक महोदय, कोटकासिम
7. तहसीलदार लेंड होल्डर, कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा

अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 272 / 2025, "सतवीर बनाम नन्दलाल आदि" के स्थानांतरण बाबत।

आदेश

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 01 नन्दलाल द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम में सतवीर द्वारा एक वाद एवं स्थानध्स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 272 / 2025 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि उक्त वाद में वह सह खातेदार है, पूर्व में बंटवारा हो चुका है, तथा वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद दायर किया है। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि वादी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के कार्यालय एवं चौम्बर में आते–जाते देखा गया है, वादी ने यह धमकी दी है कि उसने उपखण्ड अधिकारी से सांठगांठ कर ली है, तथा राजनीतिक दबाव के कारण प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इन्हीं आधारों पर वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर विचार किया गया। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि किसी विचाराधीन वाद के स्थानांतरण की शक्ति असाधारण प्रकृति की है और उसका प्रयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ अभिलेख पर ऐसे ठोस, स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ कारण उपलब्ध हों जिनसे यह संतोषजनक रूप से प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है अथवा न्यायहित में वाद का स्थानांतरण अपरिहार्य हो गया है। मात्र आशंका, अनुमान, पक्षकारों के आरोप, अथवा कार्यवाही के क्रम से उत्पन्न असंतोष स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि वे मुख्यतः आशंकात्मक एवं आरोपात्मक प्रकृति के हैं। वादी को न्यायालय परिसर अथवा कार्यालय में देखे जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि न्यायालय पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार, यह कथन कि वादी ने सांठगांठ कर ली है अथवा राजनीतिक दबाव है, तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक उसके समर्थन में कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं प्रत्यक्ष सामग्री प्रस्तुत न की जाए। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई ठोस सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने यह अवश्य कहा है कि वह सह खातेदार है तथा वाद में दर्ज तथ्य गलत हैं, परन्तु यह विवाद वाद के गुण–दोष से संबंधित है, जिसका निर्णय विचाराधीन न्यायालय द्वारा

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर किया जाना है। यदि प्रार्थी को बाद में प्रस्तुत दावे, अंतरिम प्रार्थना पत्र या अन्य कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह संबंधित न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है तथा विधि के अनुसार उपलब्ध उपाय अपना सकता है। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है कि पक्षकार अपने मनोनुकूल न्यायालय का चयन कर सके।

प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। किन्तु न्यायालय के प्रति अविश्वास का सामान्य कथन, जब तक उसे ठोस सामग्री से समर्थित न किया जाए, स्थानांतरण के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता। न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध सांतगांत पूर्वाग्रह या पक्षपात का आरोप गंभीर आरोप होता है, जिसके समर्थन में स्पष्ट एवं विश्वसनीय सामग्री अपेक्षित होती है। ऐसी सामग्री वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध नहीं है।

समस्त प्रार्थना पत्र, वर्णित आधारों एवं उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा व्यक्त आशंकाएँ सामान्य, आरोपात्मक तथा अनुमानाधारित हैं। कोई ऐसा विशेष ठोस अथवा न्यायोचित कारण सिद्ध नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 272/2025 का स्थानांतरण न्यायहित में आवश्यक है।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 स्थानांतरण का औचित्य स्थापित करने में असफल रहा है तथा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 नन्दलाल पुत्र भूरिया द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा, विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 272/2025 का निस्तारण विधि अनुसार करें।

इस आदेश की प्रति आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 29.4.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुज प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)